रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03082023-247793
SG-DL-E-03082023-247793

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 2023/श्रावण 11, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 176
No. 10]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2023/SHRAVANA 11, 1945	[N. C. T. D. No. 176

भाग III
PART III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अगस्त, 2023

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए मंच और ओम्बुड्समैन) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2022

संख्या एफ.11(1938)/डीईआरसी/2021-22/7263/1011.—विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 की उपधारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 181 की उपधारा (2) (आर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पिछले प्रकाशन के बाद, डीईआरसी "दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच और ओम्बुड्समैन) विनियम, 2018" (इसके बाद "मूल विनियम" के रूप में संदर्भित) और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच और ओम्बुड्समैन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 (इसके बाद इसे " प्रथम संशोधन विनियम" कहा जाएगा), में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1.0 लघु शीर्षक और प्रारंभ:

(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए मंच और ओम्बुड्समैन) (**द्वितीय** संशोधन) विनियम 2023 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2.0 मूल विनियम के विनियम 25(1) का संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 25 में, उप-विनियम (1) निम्नानुसार प्रतिस्थापित होंगे: -

(1) लोकपाल का कार्यकाल उसके कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पाँच (5) वर्ष या सड़सठ (67) वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक होगा।

बशर्ते कि मौजूदा लोकपाल का कार्यकाल, जिसने 67 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, अब पांच वर्ष की अवधि या 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होगा और उसके बाद वह नए सिरे से पुनर्नियुक्ति/विस्तार के लिए आवेदन करेगा। पांच (5) वर्ष पूरे होने के बाद मौजूदा लोकपाल की पुनर्नियुक्ति/कार्यकाल बढ़ाना आयोग का एकमात्र विवेकाधिकार होगा।

3.0 मूल विनियम के विनियम 9(1) का संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 9 में, उप-विनियम (1) निम्नानुसार प्रतिस्थापित होंगे :-

"(1) *अध्यक्ष या सदस्य कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि या सड़सठ (67) वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।*

बशर्ते कि मौजूदा अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल, जिसने 67 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, अब पांच वर्ष की अवधि या 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होगा और उसके बाद वह नए सिरे से पुनर्नियुक्ति/विस्तार के लिए आवेदन करेगा। पांच (5) वर्ष पूरे होने के बाद मौजूदा अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल को फिर से पुनर्नियुक्ति/कार्यकाल बढ़ाना आयोग का एकमात्र विवेकाधिकार होगा।

राजेश दांगी, सचिव

नोट:

1. मूल विनियम 8 मार्च, 2018 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III, एन.सी.टी.डी. नंबर 463 में प्रकाशित किए गए थे।
2. पहला संशोधन विनियम 24 फरवरी, 2022 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III में एन.सी.टी.डी. नंबर 472 में प्रकाशित किया गया था।

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 1st August, 2023

Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) (Second Amendment) Regulations, 2023

No. F. 11(1938)/DERC/2021-22/7263/1011.—In exercise of the powers conferred on it by sub- section (2) (r) of Section 181 read with sub-sections (5) and (6) of Section 42 of the Electricity Act 2003, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the DERC hereby makes the following Regulations to amend the "Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) Regulations, 2018", (hereinafter referred to as "the Principal Regulations") and Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) (First Amendment) Regulations, 2022 (hereinafter referred to as "the First Amendment Regulations"):

1.0 Short title and commencement:

(1) These regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) (Second Amendment) Regulations, 2023.

(2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the official Gazette.

2.0 Amendment to Regulation 25 (1) of Principal Regulations:

Sub- Regulation (1) of Regulation 25 of Principal Regulations shall be substituted as under: -

(1) The term of the Ombudsman shall be for a period of five (5) years or till the age of sixty seven (67) years, whichever is earlier, from the date he enters the office.

Provided that the tenure of the existing Ombudsman who has not attained the age of 67 years, shall now be for a period of five years or till the age of 67 years, whichever is earlier and thereafter he/she shall apply afresh for re-appointment/extension. It will be the sole discretion of the Commission to re-appoint/extend the tenure of the existing Ombudsman after completion of five (5) years.

3.0 Amendment to Regulation 9 (1) of First Amendment Regulations:

Sub- Regulation (1) of Regulation 9 of First Amendment Regulations, shall be substituted as under: -

(1) The Chairperson or Member shall hold office for a period of five (5) years or till the age of sixty seven (67) years, whichever is earlier, from the date they enter the office.

Provided that the tenure of the existing Chairperson or Member who has not attained the age of 67 years, shall now be for a period of five years or till the age of 67 years, whichever is earlier and thereafter he/she shall apply afresh for re-appointment/extension. It will be the sole discretion of the Commission to re-appoint/extend the tenure of the existing Chairperson or Member after completion of five (5) years.

RAJESH DANGI, Secy.

Note:

1. The Principal Regulations were published on 8th March, 2018 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 463.
2. The First Amendment Regulations were published on 24th February, 2022 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 472.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.03 20:57:48 +05'30'